न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/01/2025	07.01.2025	02.04.2025

1–राजेन्द्र उर्फ राजू वगै0 — अपीलान्टान

बनाम

1–चन्द्रभान वगै0 — रेस्पोडेन्टान

प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963

उपस्थितः–

01. श्री अनिल गुप्ता –वकील अपीलान्टान
02. श्री सन्तोष गुप्ता –वकील रेस्पोडेन्टान

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 18.10.2022 उप खण्ड मजिस्ट्रेट कोटकासिम बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 माता पिता और वरिष्ट नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के विरूद्व पेश की गयी है, विचाराधीन अपील का विधिवत निस्तारण किये जाने से पूर्व वकील रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पर बहस सुने जाने का अनुरोध किया गया। जिस पर वकुलाय की बहस सुनी गयी।

प्रस्तुत अपील में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 जा0 दी0 का प्रस्तुत किया, जो अभी विचाराधीन है, तहत अदालत के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण किया जाना चाहिऐ था, जो नही किया गया है। दिनाक 20.12.2024 को जाप्ता पुलिस मौके पर गयी व मिन अपीलान्टान को बेदखल करने की कार्यवाही करने लगे व बेदखल करने की धमकी दी गयी। जिस पर यह अपील बिना देरी किये पेश की गयी है। अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 18.10.2022 से 20.12.2024 तक का समय गुजरा है, को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्टान के द्वारा यह अपील मियाद के बाहर पेश की है। प्रस्तुत अपील 02 वर्ष 8 दिन पश्चात पेश की गयी है, प्रस्तुत अपील अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। जो चलने योग्य नही है, प्रस्तुत अपील मियाद की बिन्दू पर ही खारिज की जावे। अपीलान्ट द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 जा0 दी0 का पेश करने का जो उल्लेख अंकित किया है, उसका भी कोई औचित्य नही है। क्योकि उक्त प्रार्थना पत्र रिव्यू की क्षेणी में नही आता है, क्योकि न्यायालय द्वारा एक बार निर्णय पारित कर दिया जाता है, तो पारित निर्णय को नही बदला जा सकता है। विधिक प्रावधानानुसार सक्षम अधिकारिता वाले माननीय न्यायालय में विधिवत अपील पेश कर चाराजोही किये जाने का प्रावधान है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

जानबुझ कर प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, यहॉ यह भी उल्लेखनिय है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से रही है, उसके उपरान्त भी तहत अदालत के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र भी 1 माह 17 दिन पश्चात पेश किया गया है। अपीलान्टान ने अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताये है। विलम्ब के मामले में दिन प्रतिदिन का विवरण मय साक्ष्य के पेश किये जाने का प्रावधान है, ऐसी सूरत में अपीलान्टान का प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने कथन पुष्टी हेतु माननीय न्यायालय की नजीरे ए.आई.आर 1977 एस.सी.1201–1977 पेज संख्या 110 की प्रति पेश की गयी।

वकील अपीलान्ट/ वकील रेस्पोडेन्ट की प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 की बहस पर मनन किया। वकील अपीलान्ट का कथन है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 जा0 दी0 का दिनाक 05.12.2024 को प्रस्तुत किया जो अभी विचाराधीन है, तहत अदालत के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण किया जाना चाहिऐ था, जो नही किया गया है। दिनाक 20.12.2024 को जाप्ता पुलिस मौके पर गयी व मिन अपीलान्टान को बेदखल करने की कार्यवाही करने लगे व बेदखल करने की धमकी दी गयी। जिस पर यह अपील पेश की गयी है। वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है, कि अपीलान्टान के द्वारा यह अपील मियाद के बाहर पेश की है, प्रस्तुत अपील 02 वर्ष 8 दिन पश्चात पेश की गयी है, प्रस्तुत अपील अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। जो चलने योग्य नही है, प्रस्तुत अपील मियाद की बिन्दू पर ही खारिज की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्टान ने अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताये है। अपीलान्टान ने सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 20.12.2024 गलत दर्ज की गयी है, वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील 02 वर्ष 8 दिन पश्चात पेश की गयी है, विलम्ब का कारण भी स्पष्ट नही है, अत्यधिक विलम्ब के मामलो में विलम्ब का कारण दिन–प्रतिदिन का विवरण पेश किये जाने का प्रावधान है, किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण/विवरण/साक्ष्य प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ पेश नही किया गया है, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ पेश शपथ में में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, अपीलान्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 खारिज किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील अपीलान्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम खारिज किया है। प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद पेश नही किये जाने के कारण अपील अपीलान्टान खारिज की जाती है, पत्रावली निर्णय शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)